

(n1/1200/ps-mm)

**RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION**

1201 hours

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from some Members on different issues. The matters, though important, do not warrant interruption of the business of the day. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

... (*Interruptions*)

**PAPERS LAID ON THE TABLE**

1201 hours

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table. Shri Arun Jaitley.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY):

I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Economic Survey 2016-17 (Volume 2) (Hindi and English versions).
- (2) A copy of the Economic Survey 2016-17\* (Re-translated version in Hindi only).

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

---

**\*Economic Survey 2016-17 (Hindi and English versions) was laid on 31.01.2017**

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003:-
  - (i) The Prohibition of Smoking in Public Places (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.500(E) in Gazette of India dated 23<sup>rd</sup> May, 2017.
  - (ii) The Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.292(E) in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> March, 2017.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया, श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से, मैं विशिष्ट संस्थाओं के लिए विनियामक ढांचों को समर्थ बनाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (Erstwhile-Central Board for Workers Education), Nagpur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (Erstwhile-Central Board for Workers Education), Nagpur, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (3) इंडियन रेयर अथर्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (4) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (5) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the India Trade Promotion Organisation and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2017-2018.
- (2) A copy of the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.585(E) in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> June, 2017 under sub-section (3) of Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005.
- (3) A copy of the Notification No. F. No. 5/7/2014-EP (EP Agri-V)/Plant-D (Hindi and English versions) published in weekly Gazette of India dated 7<sup>th</sup> July, 2017, making certain amendments in Notification No. 5/7/2014-EP(Agri.V)/Plant-D dated 5<sup>th</sup> June, 2015 issued under Section 5 of the Spices Board Act, 1986.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, Shri N.K. Premachandran Ji. He is only laying it. If you want to speak, then speak only one sentence.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, my point is this. The notification is improper, illegal and unconstitutional. It is because as per Section 184 of the Finance Act of 2017, I do agree that the Government is empowered to make rules. But, the rules never override the original provisions of the Act. That is number one point. Secondly, it is an encroachment into the legislative functions of the Parliament. Also, it is an encroachment into the judicial functions of the Parliament. The Finance Ministry has no authority to issue notification.

HON. SPEAKER: Now, Item No.11, Shri Hansraj Gangaram Ahir.



गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): अध्यक्ष महोदया, मैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, में  
निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

(o1/1205/rc/mz)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): अध्यक्ष  
महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : अध्यक्ष महोदया, मैं स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956:-

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.268(E) in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> March, 2017.
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.664(E) in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> June, 2017.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया,  
मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE  
(DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): I beg to lay\_on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Memorandum of Understanding between the Hindustan Aeronautics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2017-2018.
- (2) Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2017-2018.
- (3) Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the BEL-THALES Systems Limited for the year 2017-2018.

- (4) Memorandum of Understanding between the Bharat Electronics Limited and the BEL Optronics Devices Limited for the year 2017-2018.
- (5) Memorandum of Understanding between the BEML Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2017-2018.
- (6) Memorandum of Understanding between the BEML Limited and Vignyan Industries Limited for the year 2017-2018.

## MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

- (i) "I am directed to inform you that the Rajya Sabha at its sitting held on Thursday, the 10<sup>th</sup> August, 2017 adopted the following Motion regarding filling up of the casual vacancies in the Joint Committee on the Citizenship (Amendment) Bill, 2016:-

### MOTION

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint three Members to the Joint Committee on the Citizenship (Amendment) Bill, 2016 in the vacancies that will arise due to the retirements of Shri Dilipbhai Pandya, Shri Derek O' Brien and Shri P. Bhattacharya from the Rajya Sabha on 18.08.2017 and communicate to the Lok Sabha the names of the Members so appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee and resolves that Shri Narayan Lal Panchariya, Shri P. Bhattacharya and Shri Derek O' Brien be appointed/re-appointed to the said Joint Committee to fill the vacancies *w.e.f. 19.08.2017.*"



- (ii) “I am directed to inform you that the Rajya Sabha at its sitting held on Thursday, the 10<sup>th</sup> August, 2017 adopted the following Motion regarding filling up of the casual vacancy in the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Bill, 2015:-

### MOTION

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint one Member to the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Bill, 2015 in the vacancy that will arise due to the retirement of Shri Derek O' Brien from the Rajya Sabha on 18.08.2017 and communicate to the Lok Sabha the name of the Member so appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee and resolves that Shri Derek O' Brien be re-appointed to the said Joint Committee to fill the vacancy *w.e.f.* 19.08.2017." ,

- (iii) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 10<sup>th</sup> August, 2017 agreed without any amendment to the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3<sup>rd</sup> August, 2017.”

**लोक लेखा समिति**  
**80वां एवं 81वां प्रतिवेदन**

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक) :** अध्यक्ष महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 'सेंट्रल बफर कपलर (सीपीसी) संघटकों की विफलता के कारण रेलगाड़ी के पृथक होने से हानि' के बारे में 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 80वां प्रतिवेदन।
- (2) 'अनुराग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय' के बारे में 44वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 81वां प्रतिवेदन।

**गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही**

**सारांश**

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) :** अध्यक्ष महोदया, मैं चालू सत्र के दौरान हुई गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की 34वीं से 36वीं बैठकों का कार्यकारी सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

**सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति  
39वां, 40वां एवं 41वां प्रतिवेदन**

**डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर):** अध्यक्ष महोदया, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2016-2017) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन।
- (2) संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।
- (3) संचार मंत्रालय (झाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

**विदेशी मामलों संबंधी समिति  
16वां प्रतिवेदन**

**डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम) :** अध्यक्ष महोदया, मैं 'भारत-पाकिस्तान संबंध' विषय पर विदेशी मामलों संबंधी समिति (2016-17) का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

**खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति  
विवरण**

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदया, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच के बारे में अंतिम उत्तर दर्शाने वाले की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) (16वीं लोक सभा) के बारे में 13वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) (16वीं लोक सभा) के बारे में 14वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF  
RECOMMENDATIONS IN 36<sup>TH</sup> REPORT OF  
STANDING COMMITTEE ON FINANCE - LAID**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Madam, on behalf of Shri Arun Jaitley, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 36<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF  
RECOMMENDATIONS IN 268<sup>TH</sup> AND 278<sup>TH</sup> REPORTS OF  
STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE  
DEVELOPMENT - LAID**

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): Madam, I beg to lay a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 268<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2015-16) and 278<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Women and Child Development.

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF  
RECOMMENDATIONS IN 233<sup>RD</sup> REPORT OF  
STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE  
DEVELOPMENT - LAID**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया, मैं श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) (मांग संख्या 58) के बारे में समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 233वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ।

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF  
RECOMMENDATIONS IN 22<sup>ND</sup> REPORT OF  
STANDING COMMITTEE ON LABOUR - LAID**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 22<sup>nd</sup> Report of the Standing Committee on Labour on Action Taken by the Government on recommendations contained in the 16<sup>th</sup> Report of the Committee on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

(p1/1210/snb-bks)

**MOTION RE: 46<sup>TH</sup> REPORT OF BUSINESS ADVISORY  
COMMITTEE**

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री एस.एस.अहलुवालिया): अध्यक्ष महोदया, मैं श्री अनंत कुमार की ओर से निम्नलिखित  
प्रस्ताव पेश करता हूँ:-

“ कि यह सभा 10 अगस्त, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के  
46वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Forty-sixth Report of  
Business Advisory Committee presented to the House on  
the 10<sup>th</sup> August, 2017.”

*The motion was adopted.*

1211 hours

**RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY  
EDUCATION (SECOND AMENDMENT) BILL**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN  
RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI UPENDRA KUSHWAHA):

Madam, on behalf of Shri Prakash Javadekar, I beg to move for leave to  
introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and  
Compulsory Education Act, 2009.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend  
the Right of Children to Free and Compulsory Education  
Act, 2009.”

*The motion was adopted.*

SHRI UPENDRA KUSHWAHA: Madam, I introduce the Bill.

**REPEALING AND AMENDING (SECOND) BILL**

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF  
ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI  
RAVI SHANKAR PRASAD): Madam, I beg to move for leave to  
introduce a Bill to repeal certain enactments and to amend certain other  
enactments.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to repeal certain  
enactments and to amend certain other enactments.”

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : यह टाइम बार्ड था, मैंने बता तो दिया।



1211 बजे

### विदाई उल्लेख

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र के समापन पर आप सभी को मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि यह सोलहवीं लोक सभा का बारहवां सत्र 17 जुलाई, 2017 को आरंभ हुआ था, जो आज समाप्त हो रहा है। मगर इस सत्र के दौरान हमने 19 बैठकें की, जो तकरीबन 76 घंटे 41 मिनट चलीं। वर्तमान सत्र के दौरान 17 जुलाई, 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हुआ और 20 जुलाई, 2017 को इसके परिणाम की घोषणा हुई। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने 25 जुलाई, 2017 को केन्द्रीय कक्ष में शपथ ली।

सभा ने 9 अगस्त, 2017 को “भारत छोड़ो आंदोलन” की 75वीं वर्षगांठ के अवसर को विशेष चर्चा के पश्चात् एक संकल्प को adopt करके मनाया। यह सचमुच में एक अविस्मरणीय क्षण था। इसलिए फिर एक बार आप सबको मैं बधाई और धन्यवाद दोनों देती हूँ।

इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाये गये। वर्ष 2017-18 के लिए Supplementary Demands for Grants (General) और वर्ष 2014-15 के लिए Demands for Excess Grants (General) के बारे में करीब 5 घंटे 11 मिनट तक चर्चा हुई और तत्पश्चात् इन्हें मतदान के लिए रखा गया और संबंधित Appropriation Bills पारित किए गए।

वर्तमान सत्र के दौरान 17 सरकारी विधेयक introduce किए गए। कुल मिलाकर 14 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में निम्नलिखित विधेयक शामिल थे:-

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017;  
 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017;  
 कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016;  
 बैंककारी विनियम (संशोधन) विधेयक, 2017;  
 पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) संशोधन विधेयक, 2017; और  
 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017

सत्र के दौरान 380 starred प्रश्न सूचीबद्ध किए गए जिनमें से 63 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार, औसतन प्रतिदिन लगभग 3.31 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष starred प्रश्नों के लिखित उत्तर 4370 unstarred प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए।

(q1/1215/gg-ru)

सदस्यों ने प्रश्न काल के पश्चात् और शाम को देर तक बैठ कर लगभग 252 अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन करीब 281 मामले सदन में उठाए।

स्थायी समितियों ने सभा में 44 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सभा में नियम 193 के अधीन निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर अल्पकालिक चर्चाएं भी हुई :-

- (1) देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति, और
- (2) देश में भीड़ द्वारा हिंसा में अत्याचार और पीट-पीटकर मारने की कथित घटनाओं से उत्पन्न स्थिति

इस सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण (कॉलिंग अटेंशन) के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में भी मामला भी उठाया गया।

अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 41 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सरकारी कार्य के बारे में तीन वक्तव्य दिए।

सत्र के दौरान, संबंधित मंत्रियों ने करीब 1270 पत्र सभा पटल पर रखे।

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गैर सरकारी सदस्यों के 28 विधेयक इंट्रोड्युज़ किए गए। श्री विन्सेंट एच. पाला द्वारा पेश किए गए संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक 2015 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को 21 जुलाई, 2017 को आगे चर्चा के लिए लिया गया। तथापि, विधेयक पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हुई।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किए गए संकल्प, जिस पर पिछले सत्रों के दौरान चर्चा की गई थी, पर 28 जुलाई, 2017 को आगे चर्चा की गई और उसे उसी दिन सभा की अनुमति से वापस लिया गया। देश में विभिन्न रक्षा स्थापनों के समीप स्थित भवनों के जीर्णोद्धार के संबंध में श्री गोपाल शेट्टी द्वारा 28 जुलाई, 2017 को एक अन्य संकल्प पेश किया गया और इस पर आंशिक चर्चा हुई।

इस सत्र में व्यवधानों और उसके कारण किए गए स्थगनों के कारण 29 घंटे 58 मिनट का समय नष्ट हुआ, लेकिन सभा ने 10 घंटे और 43 मिनट देर तक बैठ कर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। इसके लिए भी मैं आपकी आभारी हूँ।

मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं सभा की

कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिए प्रदान की गई सहायता के लिए संबंधित सभी एजेंसियों को भी धन्यवाद करती हूँ।

माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी को बधाई देती हूँ और हमने तो संकल्प भी लिया है।

इस पूरे सत्र में, आप सबका जो सहयोग रहा, उसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और बधाई देती हूँ।

माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि अब "वन्दे मातरम्" की धुन बजाई जाएगी।

*(The National Song was played.)*

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die*.

1220 hours

*The Lok Sabha then adjourned sine die.*